

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:- 4/2024

तारीख रजू 02.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. नितिन पाराशर पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा, (प्रोपराईटर) मैसर्स - शर्मा किराना स्टोर लहसोडा सवाई माधोपुर निवासी मंदिर मोहल्ला लहसोडा, सवाई माधोपुर।
2. सोहन कुमार गर्ग पुत्र स्वराज्य प्रकाश गर्ग (प्रोपराईटर) मैसर्स आयुष्मान फूड्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० 1458/1453 श्यामबेल मन्दिर के सामने, कोटा रोड, खातोली कोटा 325009 निवासी स्वराज्य प्रकाश आयल एण्ड फ्लोर मिल बीरपुर मैन बाजार बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश 476335

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 19.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2023 को 01.00 पी.एम. पर मैसर्स शर्मा किराना स्टोर लहसोडा सवाई माधोपुर पर पहुँचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर नहीं होना बताया। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml विक्रय हेतु रखा हुआ था। Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml की बोतल में मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना वास्ते Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml की 04 बोतल को खरीदकर उसकी कीमत 300/- रुपये विक्रेता नितिन शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान अभिषेक के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नितिन शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता नितिन शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml की 04 बोतल को मूल ही लेकर 04 नमूना भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला  
सवाई माधोपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2599 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. H-2599 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/250-253 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/244/एक्ट/2023/311 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml Misbranded होना पाया गया है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 स्वयं तथा अभियुक्त संख्या 2 जरिये नोमिनी उपस्थित हुये तथा अभियुक्तगण द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में बहस करने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का खाद्य पदार्थ Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की दुकान से Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का पाया गया है। प्रार्थी के उत्पाद में कोई कमी नहीं है केवल लेबल की कमी के कारण मिसब्राण्ड आया

  
न्याय निर्णयन  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एव अति  
एव अति  
सवाई माधोपुर

है। अब लेबल में सुधार कर लिया गया है। अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार कर न्यूनतमक शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं० एलएस/244/एक्ट/2023/311 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml मिसब्राण्ड (Mis-branded) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) ) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा भी अपनी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Kacchi Ghani Mustarad Oil (Aayushman Brand) 500 ml का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/-रु० (अक्षरे दस हजार रुपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 पर 30,000/-रु० (अक्षरे तीस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जगदीश आर्य)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर